

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.3 (ख)(पदोन्नति)/2020-21/अलेसे-11/ 1620

दिनांक:- 18/03/21

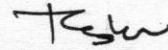
आदेश संख्या 46/2020-21

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 29(2ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी वर्ष 2009-10) की सिफारिशों के आधार पर श्री हीराराम चौधरी, कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट सं. 428/86) जन्म तिथि 12.04.1965 का चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत लेखाकार (वर्तमान में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II) के रिक्त पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु इनके विरुद्ध एसीबी प्रकरण 198/02 विचारधीन होने के कारण इनके पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये गये।

श्री हीराराम चौधरी, कनिष्ठ लेखाकार को उनके विरुद्ध लंबित एसीबी प्रकरण 198/02 में माननीय विशेष न्यायाधीश सेशन न्यायालय (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) जोधपुर के निर्णय दिनांक 29.08.2018 द्वारा दोषमुक्त करने एवं विभागीय आदेश संख्या एफ 4 (1)(b)(428/86) अलेसे- III/37 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा अन्य देय समस्त पेंशन योग्य परिलामों की गणना के लिए उक्त निलम्बन अवधि को सेवा में गणना योग्य माना जाने के कारण इनकी पदोन्नति की जाकर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II पद की वेतन श्रृंखला 9300-34800 (पे बैंड -2), ग्रेड पे-3600/- में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है। श्री हीराराम चौधरी (मेरिट सं. 428/86) की वरिष्ठता श्री विमल कुमार तवरं, (मेरिट सं. 427/86) एवं श्री कैलाश सिंह, (मेरिट सं. 429/86) के मध्य रहेगी।

श्री हीराराम चौधरी को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के पद पर चयन के वर्ष की प्रभावी तिथि से इस आदेश की पालना में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक पदोन्नति पद की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण का केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा।

श्री हीराराम चौधरी, कनिष्ठ लेखाकार वर्तमान पदस्थापित कार्यालय तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर की पदोन्नति सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के पद पर एतद् द्वारा की जाती है। श्री चौधरी का पदस्थापन मुख्य ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पीपाड़ शहर, जोधपुर में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के पद पर किया जाता है।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख)(पदोन्नति)/2020-21/अलेसे-11/ 1620

दिनांक:- 18/03/21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित कार्मिक के पदोन्नति पर कार्यग्रहण की सूचना विभाग का आवश्यक रूप से प्रेषित करावे।
4. संयुक्त निदेशक, कार्मिक-III, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकार की निजी पत्रावली अलेसे-III अनुभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. डीपीसी अनुभाग/ गोपनीय अनुभाग/वरिष्ठता।
8. श्री.....सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय.....।
9. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)